



मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

MP Online Limited
Joint venture between Govt of Madhya Pradesh and TCS



दिनांक 1/10/2016 के पश्चात के समस्त राजस्व प्रकरणों में पारित आदेशों एवं स्केन हो चुके अधिकार अभिलेख*, पंचसाला खसरा और नामांतरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेखागार/नकल शाखा में ना आकर सीधे एमपीऑनलाइन कियोस्क सेंटर से प्राप्त करें।

भू-अभिलेख, प्रतिलिपि हेतु लागू नवीन दरें।			(दरें रुपये में)
क्रं.	अभिलेखों का विवरण	प्रथम पृष्ठ	प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ
1.	खसरा एक साला/खसरा पांच साला/खाता जमाबंदी (खतोनी)/अधिकार अभिलेख/खेवट	30.00	15.00
2.	वाजिब – उल – अर्ज, निस्तार पत्रक	30.00	15.00
3.	ए-4 साइज में नक्शे की प्रतिलिपि	30.00	15.00
4.	नामांतरण पंजी की प्रति (ए -4 आकार में)	30.00	15.00
5.	किसी राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रति/किसी राजस्व प्रकरण में आदेश पत्रिका की प्रति/राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति (ए -4 आकार में)	30.00	15.00
6.	हस्तलिखित खसरा पंचसाला (स्केन की गई प्रति) (ए -4 आकार में)	30.00	15.00
7.	हस्तलिखित राजस्व प्रकरण पंजी (स्केन की गई प्रति) (ए -4 आकार में)	30.00	15.00

* केवल पुराने अभिलेख जो स्कैन हो चुके हैं।

- ★ भू अभिलेख प्रतिलिपि हेतु नागरिक एमपीऑनलाइन कियोस्क पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
- ★ ऑनलाइन आवेदन करने के 30 मिनट पश्चात डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख की प्रतिलिपि एमपीऑनलाइन कियोस्क से प्राप्त करें।
- ★ सेवा शुल्क का नगद भुगतान कर नागरिक कियोस्क संचालक से रसीद अवश्य लें।
- ★ ऑनलाइन रसीद में उल्लेखित शुल्क से अधिक राशि का भुगतान न करें।
- ★ यदि कियोस्क संचालक द्वारा रसीद में उल्लेखित शुल्क से अधिक राशि की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाइन कस्टमर केयर नंबर 0755-6720200 या एम. पी. भू-अभिलेख के टोल फ्री नंबर – 1800 233 6763 या ऑनलाइन www.mpbhulekh.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
- ★ उपरोक्त दर से यह सेवाएं www.mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश